



19-12-2019

पञ्जाबली पत्रा दुई वरील करी वें न उप. (वकील वादी)
 १३१२-२०१८ के सम्मन नलवाने आज भी प्रहिन नही किये।
 पञ्जाबली का अवलोकन किया। पूर्व में डि 13-12-2018 के प्रकरण
 आरुण शर्मा के नाम से (वकील) किये गये थे के वादी डि. 31-12-2018 के
 वकीलवादी के प्र. पत्र पर पञ्जाबली पुनः नम्बर के वकीलवादी वकील
 वादी के प्रहिनवादी के रति नलनी हेतु सम्मन नलवाना प्रहिनकर
 डि 13-2-19 के रति सम्मन नलवाना प्रहिन किये जिस का प्रहिन
 नाम की नलन से डि 28-3-19 के श्री सतनाम मैरि वरील उप.
 आरुण शर्मा प्रहिन 5 व 7 के रति सम्मन वाकिल प्रहिनवादी वकील उप.
 के डि 12-6-19 के प्रहिन सं. 5 व 7 के रति के वे सार प्रनः रति सम्मन
 नलवाना प्रहिन करने हेतु डि 28-3-19 के प्रहिन सं. 5 व 7 के रति सम्मन
 वादी द्वारा डि 13-8-2019 के प्रहिन सं. 5 व 7 के रति सम्मन
 नलवाना प्रहिन करने को रती दिन उन्हे रति सर्टिफिकेट 199 से
 प्रहिन करने हेतु वाकिल किये गये वे प्रहिन डि 16-10-2019
 # 19-12-2019 के रति सम्मन के रती हेतु प्रनः सम्मन
 नलवाना प्रहिन नही करने हेतु डिनां 19-12-2019 के
 न्याय दिन में सम्मन नलवाना प्रहिन करने का आदेश



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>अबसर इस गद्योपाले किन आज भी नकीलवादी द्वारा प्रतिवादी सं-5 व 7 की तलली देतु रजिस्टर्ड रूमि में तम्मन तललाना प्रबुत गरी किये काले पत्रावली प्रतिवादी सं-5 व 7 की तलली डामाबके अर्कगलकौज 9 निमेष 5 एपए के तडत डमीतर फे (वादिन की गरी डे। पत्रावली के तलल गुमाए होत नम्बर से कम करतुए वाड तालीन तवमील रजिस्ट्र डेक्रेट हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी वीकानेर </p>	